न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

राज. निगरानी क्र0/ /014

Rs.20/-

R-3754-III/14

707
10.X.14

सत्यनारायण तनय रामानुज ब्रा0 निवासी ग्राम नईगढ़ी, थाना व तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा, म0प्र0.

--------आवेदक

बनाम

रामलाल तनय रामानुज ब्रा0 निवासी ग्राम नईगढ़ी, थाना व तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा, म0प्र0.

--------अनावेदक

श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय एड. 10-10-14 के द्वारा आज प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3462
दिनांक 29-10-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा दिनांक 30.07.11 जो प्रकरण क्र0 3-अ-5/2010-11 में पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(01) यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के आवेदन पर प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 229/3248/6 का जिस स्थल पर नक्शा तरमीम किए जाने

नि03ा0
(सत्यनारायण)

निरंतर....

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3754/II/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	सत्यनारायण — रामलाल कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/3/16	यह निगरानी नायब तहसीलदार नईगढ़ी जिला रीवा के प्रकरण 3/अ-5/10-11 में पारित आदेश दिनांक 30-7-11 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता सतेन्द्र कुमार पाण्डेय को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद नक्शा तरमीम से संबंधित है। प्रकरण में अनावेदक द्वारा सर्वे क्र. 229/3248/6 का नक्शा तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया था जिसके क्रम में रा.नि. से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्राप्त नक्शा तरमीम प्रस्ताव के आधार पर नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 30-7-11 जारी किया गया जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधि.क्र. 2543-6408-सात-ना-1 दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र दि. 30-8-68) द्वारा संहिता की धारा 71,72,73 (वर्तमान धारा (58,69,70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गई है ऐसी स्थिति में नक्शा तरमीम करने की शक्तियां तहसीलदार को होने से नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में नक्शा तरमीम के आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 44(1) के निहित प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक मूल आदेश की अपील उपखण्डीय अधिकारी के अधी. द्वारा जारी किए	

क्र. प. उ.

निग0/3754/III/14 udr

स्थान तथा दिनांक | (निग/उदर) कार्यवाही तथा आदेश रामलाल R-3754/III/14 रेवा | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

2-3-16 जाने की दशा में अनु० अधिकारी को अपील होगी।

उक्त प्रावधान के अनुसरण में तह०/नायब तह० द्वारा पारित नक्शा तरमीम के मूल आदेश के विरुद्ध अपील संहिता की धारा 75(1) के अंतर्गत अनु०अधि० को होगी, क्योंकि तह०/नायब तह० अनु० अधि० के अधीनस्थ अधिकारी है। अपील योग्य आदेश के विरुद्ध निगरानी आवेदन ग्राह्य नहीं किया जा सकता। चूंकि आवेदक द्वारा निगरानी आवेदन राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो उचित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक से राजस्व मण्डल के इस आदेश की सूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को दी जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ इस निगरानी प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्र० दा० रि० हो।

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—714—असारामप्रग्वा—29-2-2012—15,000.